रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1980/फाल्गुन 15, 1901
No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1980/PHALGUNA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1980

सा.का.नि. 74(अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (1978-79 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम चीनी (1978-79 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1980 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. चीनी (1978-79 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1979 में खण्ड 2 के परन्तुक में, "प्रति क्विंटल चीनी पर प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रति क्विंटल चीनी पर, प्रति किलोमीटर तीन पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 1-9/80-एस पी वाई (डेस्क-2)]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 5th March, 1980

G.S.R. 74(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Determination for 1978-79 Production) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1978-79 Production) Amendment Order, 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Price Determination for 1978-79 Production) Order, 1979, in the proviso to clause 2, for the words "an additional one paisa per quintal", the words "additional three paise per quintal" shall be substituted.

[No. 1-9/80-SPY(Desk-II)]

सा.का.नि. 75(अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (1979-80 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम चीनी (1979-80 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) संशोधन आदेश 1980 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. चीनी (1979-80 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1979 में, खण्ड 2 के परन्तुक में, "प्रति क्विंटल चीनी पर, प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रति क्विंटल चीनी पर, प्रति किलोमीटर तीन पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 1-9/80-एस पी वाई(डेस्क-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 75(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Determination for 1979-80 Production) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1979-80 Production) Amendment Order, 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Price Determination for 1979-80 Production) Order, 1979, in the proviso to clause 2, for the words "an additional one paisa per quintal", the words "additional three paise per quintal" shall be substituted.

[No. 1-9/80-SPY(Desk-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980